



## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: एफ.37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/ 9/4

दिनांक:- 17/8/2023

### --:कार्यवाही विवरण:-


जोन-3 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 06/2023 वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क. सं.	जोन	प्रकरणों का विवरण	निर्णय
1.	जोन-3	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 04/2023 वीं बैठक दिनांक 23.06.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
2.	जोन-3	राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी, पाल के खसरा संख्या 561/6, 562, 562/1, 562/2, 562/3, 562/4 व 562/5 क्षेत्रफल 35644.71 वर्गमीटर पर ग्रुप हाउसिंग फ्लेट्स प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति की निर्माण अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।  आवेदक:- आशियाना हाउसिंग लिमिटेड जरिये श्री मनोज कुमार व्यास  भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 06/2023 वीं बैठक दिनांक 11.08.2023	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम 2013 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार नियमानुसार शुल्क लेते हुए भवन निर्माण स्वीकृति की निर्माण अवधि 02 वर्ष बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	जोन-3	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 319/7 में स्थित आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 10344.31 वर्गगज (8652 वर्गमीटर) पर आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति में संशोधन के संबंध में।  आवेदक:- मैसर्स ओसियन् कॉर्पोरेशन जरिये भागीदार श्री	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.08.2023 को प्रेषित मार्गदर्शन के क्रम में भवन विनियम 2020 के प्रावधान 10.2.1 (य)(V) एवं 10.2.1(य)(VI) के अनुसार आवश्यक सुविधा क्षेत्र, खुदरा व्यवसायिक (दैनिक उपभोग हेतु) दुकानों इत्यादि का प्रावधान करते हुए आवेदक से संशोधित भवन मानचित्र प्राप्त किए जाकर परीक्षण उपरान्त आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।



	नरेन्द्र बुधवानी पुत्र श्री कन्हैयालाल	
	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 06/2023 वीं बैठक दिनांक 11.08.2023	

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

क्रमांक: एफ.37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/915-919.

दिनांक:- 17/8/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (जोन-3), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि बैठक कार्यवाही विवरण को जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।




उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

परिशिष्ट-“1”

जोन-3 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 06/2023 वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                  | अध्यक्ष    |
| 2. श्री जयनारायण मीना, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                       | सदस्य      |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।           | सदस्य      |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन-3) जो.वि.प्रा. जोधपुर         | सदस्य      |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।               | सदस्य सचिव |
| 7. प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।               |            |



उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)